

आदेश की क्रम सं०
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित
3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 22 of 2018

Dist.:-Patna

**PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.**

Praveen Kumar - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner :

For the OP :

ORDER

26.12.2018

प्रस्तुत सेवा अपील श्री प्रवीण कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के आदेश ज्ञापांक- 557/सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक- 29.05.2018 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

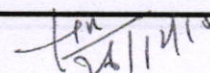
श्री प्रवीण कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना से श्री जार्ज मसीह, भान चालक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना से संबंधित उपार्जित अवकाश का अभ्यावेदन विलम्ब से उपस्थापन करने के कारण विभागीय पत्रांक- 206 दिनांक- 26.02.2018 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

उनके विरुद्ध निम्न आरोप हेतु स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी-

“श्री जार्ज मसीह, भान चालक द्वारा दिनांक- 01.12.2017 को अवकाश स्वीकृति के संबंध में आवेदन समर्पित किया गया था। श्री कुमार

(Signature)

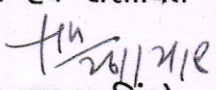
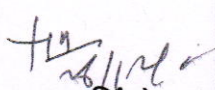
आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	द्वारा ससयम संचिका उपस्थापित नहीं की गई जिससे उपार्जित अवकाश स्वीकृत किए जाने में अनावश्यक विलम्ब हुआ।” श्री प्रवीण कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक ने अपने पत्रांक- शून्य, दिनांक- 07.03.2018 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया कि वे दिनांक- 03.12.2017 तक अवकाश में थे। दिनांक- 04.12.2017 को उन्होंने अपना योगदान विभाग को समर्पित किया, जबकि श्री जार्ज मसीह द्वारा दिनांक- 01.12.2017 को अवकाश हेतु आवेदन दिया गया था। श्री मसीह, वाहन चालक के पद पर कार्यरत है। विभागीय कार्यालय आदेश संख्या- 308, दिनांक- 30.10.2017 के द्वारा उन्हें समूह 'घ', एकल पद, विधान सभा के अलावा उच्च पदाधिकारियों द्वारा सौंपा गया कार्य जैसे- पी.आर.एजेन्सी/बढ़ चला बिहार, क्रिएटिव निर्माण आदि से संबंधित संचिकाओं का निष्पादन का कार्य दिया गया। एक अन्य आदेश संख्या- 317 दिनांक- 08.11.2017 के द्वारा श्रीमती कृतिका, सहायक के अवकाश में रहने के कारण उनके पटल का भी कार्य यथा- वाहन चालक, छायाकार, गीत नाट्य शास्त्रा, नीति नियमावली एवं गोपनीय अभियुक्ति से संबंधित कार्य भी उन्हें ही दिया गया। वे उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर कार्यरत थे। और जो कार्य उन्हें दिया गया उसमें संचिकाओं की संख्या काफी अधिक थी जिसके कारण आये दिन काफी संचिकाओं/पत्रों का निष्पादन उनके द्वारा किया जाता था। ज्यादातर उपार्जित अवकाश स्वीकृति के मामलों में आवेदनकर्ता द्वारा योगदान देने के पश्चात् ही अवकाश स्वीकृत किया जाता है। क्योंकि अवकाश की अवधि बढ़ाये जाने की संभावना बनी रहती है। श्री मसीह के अवकाश के मामले में ऐसा हुआ भी है। उनके द्वारा पूर्व में आवेदित अवकाश की तिथि 03.01.2018	



आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	से आगे भी अवकाश में रहकर दिनांक- 08.01.2018 को कर्तव्य पर योगदान दिया गया और दिनांक- 06.12.2017 से 07.01.2018 तक अवकाश स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया। यह आवेदन दिनांक- 09.01.2018 को उनके पटल पर प्राप्त हुआ और दिनांक- 11.01.2018 को संचिका में उपस्थापित कर दिया गया। इसी क्रम में श्री प्रवीण कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक के अवकाश अवधि में उनके कार्य के प्रभार में कार्यरत श्रीमती दिब्या, सहायक से भी उपरोक्त आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण पृच्छा विभागीय पत्रांक- 206 दिनांक- 26.02.2018 से की गयी। उन्होंने अपने पत्रांक- शून्य दिनांक- 16.03.2018 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित किया कि भान चालक की स्थापना श्री प्रवीण कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक को आवंटित था। श्री कुमार दिनांक- 13.11.2017 से 01.12.2017 तक उपार्जित अवकाश में रहने के कारण प्रभार स्वरूप मुझे दिया गया। श्री मसीह का उपार्जित अवकाश का आवेदन उन्हें दिनांक- 04.12.2017 को प्राप्त हुआ। दिनांक- 04.12.2017 को श्री प्रवीण कुमार भान चालक के स्थापना के पटल प्रभारी कार्यालय में अपने कर्तव्य पर योगदान दिए। उनके द्वारा अन्य पत्रों के साथ श्री मसीह का भी आवेदन उन्हें दे दिया गया। वर्णित परिपेक्ष्य में श्री मसीह के मामले में विलम्ब उनके स्तर से नहीं हुआ। आरोपी कर्मियों के विरुद्ध आरोप एवं प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री जार्ज मसीह, भान चालक द्वारा दिनांक- 01.12.2017 को अवकाश हेतु आवेदन किया गया। उक्त के संबंध में श्रीमती दिब्या, सहायक एवं श्री प्रवीण, उच्च वर्गीय लिपिक से उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु विलंब से संचिका	

[Handwritten signature]
26/12/18

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	उपस्थापित किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री जार्ज द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक- 01.12.2017 को ही श्रीमती दिव्या को अभ्यावेदन प्राप्त हो गया। दिनांक- 02.12.2017 एवं 03.12.2017 को शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश होने के कारण श्रीमती दिव्या द्वारा दिनांक- 04.12.2017 को उक्त अभ्यावेदन अवकाश उपभोग कर वापस लौटे उच्च वर्गीय लिपिक श्री प्रवीण कुमार को अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दिया गया, जिसकी सूचना उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में दी है। श्री प्रवीण कुमार उच्चवर्गीय लिपिक के द्वारा दिनांक- 04.12.2017 को अवकाश आवेदन प्राप्त किया गया जो दिनांक- 11.01.2018 को स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष लगभग एक माह विलंब से उपस्थापित किया गया। उक्त के संबंध में श्री प्रवीण कुमार द्वारा संचिका उपस्थापन में विलंब के संबंध में उल्लेख किया है कि ज्यादातर मामलों में आवेदनकर्ता के योगदान के पश्चात् ही अवकाश स्वीकृत किया जाता है, क्योंकि इसमें अवकाश की अवधि बढ़ाये जाने की संभावना बनी रहती है। श्री कुमार का उक्त कथन स्वीकार्य नहीं है। अपितु अवकाश स्वीकृत कराकर ही अवकाश पर प्रस्थान करना समीचीन है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री जार्ज के उपार्जित अवकाश संबंधी अभ्यावेदन उपस्थापन में श्री प्रवीण कुमार के द्वारा विलंब किया गया है। तदनुसार सम्यक् विचारोपरान्त श्री प्रवीण कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए कार्य में शिथिलता बरतने के लिए इनके विरुद्ध “निन्दन” की शास्ति अधिरोपित एवं 11/1/18	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	संसूचित की गयी, जिसकी प्रविष्टि उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति वर्ष- 2017-18 में की जाएगी। अवर सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा बताया गया कि दिया गया दंड सही है एवं इसे बरकरार रखा जाय। अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया कि चूँकि दंड सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा दिया गया है अतः सामान्य प्रशासन विभाग को कुछ नहीं कहना है। सभी पक्षों को सूनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आरोप प्रमाणित है। अतः सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के द्वारा अधिरोपित दंड में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	